2021/00058

फर्द अहकाम

जनकी बनाम पानू वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 99/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16-9-19	आज दिनांक 16-9-19 को पत्रावली पेश [illegible] अभिभाषक [illegible] बोले। / कर्ण बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सका। पीठासीन अधि. कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-9-19 को पेश हो।
	19/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। T.D.R. जयपुर से कुर्की जाब्ता उपरोक्त मुकदमे में प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 26-9-19 को पेश हो।
	26-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30-10-19 को पेश हो।
	30/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पत्रावली आज वास्ते आदेश में है। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार से प्राप्त कुर्की जाब्ता उपरोक्त पर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद आपत्ति नहीं आई। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनने के बाद एवं कुर्की जाब्ता के अवलोकन उपरान्त वादी वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाद में अन्तिम डिक्री की जाती है। सम्बन्धित मिसिल अलग से लिया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तथा पत्रावली दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयराम नगर, जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 15:48:04 IST
Reason: SelfAttested